

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या-02/कम्प्यूटर-05/2015 परि0

/ पटना दिनांक-

इस विभाग के आदेश सं0-3082 दिनांक-29.06.2016 द्वारा प्रतिनियुक्त एवं आदेश सं0-4468 दिनांक-21.07.2016 द्वारा विरमित करने के निदेश के अनुपालन नहीं किये जाने की सूचना कतिपय जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त हो रही है।

ऐसे आउटसोर्स डाटा इंट्री ऑपरेटर जिनके द्वारा दिनांक-17.08.2016 तक अपने पूर्व प्रतिनियुक्त कार्यालय से विरमित नहीं हुए हो तथा विरमित के उपरान्त अपने नवप्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान नहीं दिया हो तो ऐसे ऑपरेटरों की सेवा विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी बेल्ट्रॉन, पटना को वापस किया जाय एवं इससे विभाग को भी सूचित किया जाय।

यदि नवप्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों द्वारा विभागीय सॉफ्टवेयर पर कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो उस डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा उनकी अक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर उनके सेवा प्रदाता कंपनी बेल्ट्रॉन, पटना को वापस करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजी जाय।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय एवं जिला परिवहन कार्यालय में विभागीय आदेश सं0-3082, दिनांक-29.06.2016 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आदेश के पूर्व डाटा इंट्री ऑपरेटरों के कार्यबल में वर्तमान में कोई रिक्ति हो तो इस रिक्ति के विरुद्ध जिला स्तर से ही रिक्ति संख्या के अनुसार कार्यपालक सहायक की सेवा प्राप्त करते हुए विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय तथा यह ध्यान रखा जाय कि कार्यालय का कार्यबल पूर्व में निर्धारित कार्यबल से अधिक न हो।

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में योगदान दिये डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सूची अवलंब विभागीय ई-मेल--transecy-bih@nic.in पर अपलोड किया जाए।

उपर्युक्त विभागीय आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Email

सं0-02/कम्प्यूटर-05/2015 परि0 5656 पटना, दिनांक- 2019/16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


20/9/16
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या-02/कम्प्यूटर-05/2015 परि0

/ पटना दिनांक-

इस विभाग के आदेश सं0-3082 दिनांक-29.06.2016 द्वारा प्रतिनियुक्त एवं आदेश सं0-4468 दिनांक-21.07.2016 द्वारा विरमित करने के निदेश के अनुपालन नहीं किये जाने की सूचना कतिपय जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त हो रही है।

ऐसे आउटसोर्स डाटा इंट्री ऑपरेटर जिनके द्वारा दिनांक-17.08.2016 तक अपने पूर्व प्रतिनियुक्त कार्यालय से विरमित नहीं हुए हो तथा विरमित के उपरान्त अपने नवप्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान नहीं दिया हो तो ऐसे ऑपरेटरों की सेवा विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी बेल्ट्रॉन, पटना को वापस किया जाय एवं इससे विभाग को भी सूचित किया जाय।

यदि नवप्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों द्वारा विभागीय सॉफ्टवेयर पर कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो उस डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा उनकी अक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर उनके सेवा प्रदाता कंपनी बेल्ट्रॉन, पटना को वापस करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजी जाय।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय एवं जिला परिवहन कार्यालय में विभागीय आदेश सं0-3082, दिनांक-29.06.2016 द्वारा प्रतिनियुक्त के आदेश के पूर्व डाटा इंट्री ऑपरेटरों के कार्यबल में वर्तमान में कोई रिक्ति हो तो इस रिक्ति के विरुद्ध जिला स्तर से ही रिक्ति संख्या के अनुसार कार्यपालक सहायक की सेवा प्राप्त करते हुए विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय तथा यह ध्यान रखा जाय कि कार्यालय का कार्यबल पूर्व में निर्धारित कार्यबल से अधिक न हो।

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में योगदान दिये डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सूची अविलंब विभागीय ई-मेल-transecy-bih@nic.in पर अपलोड किया जाए।

उपर्युक्त विभागीय आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

झापांक-02/कम्प्यूटर-05/2015 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Email

झापांक-02/कम्प्यूटर-05/2015 परि0 5656

पटना, दिनांक- 2019/11/6

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2019/11/6
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।